

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञाप संख्या-4/क्षेत्रस्था0 (आवंटन)-04/2016-

(4)/रा0 पटना-15, दिनांक-

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल पथ,
पटना।

विषय- संबिदा के आधार पर नियोजित अभिनों के पारिश्रमिक भुगतान हेतु मुख्य शीर्ष 2029 के तहत 2801 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ मद में कुल-1,51,452.00 (एक लाख एकावन हजार चार सौ बावन रुपये) मात्र व्यय की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

2. राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुख्य शीर्ष-2029-भू-राजस्व-104- सरकारी सम्पदाओं का प्रबन्ध-0001-राजस्व प्रशासन पर व्यय 2801 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ, माँग संख्या-40, विपत्र कोड-N 2029001040001 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. राज्य के जिला पश्चिम चम्पारण में संबिदा के आधार पर अभिनों के मानदेय भुगतान हेतु जिला से प्राप्त माँग-पत्र के आधार पर राशि की स्वीकृति दी जाती है। उक्त राशि विपत्र कोड-एन-2029001040001 के अन्तर्गत स्वीकृत पद के विरुद्ध संबिदा पर कार्यरत कर्मियों के लिए ही भुगतेय होगा। आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

क्रमांक	जिला	स्वीकृत राशि	जिला का पत्रांक
1.	पश्चिम चम्पारण	151452	2169/रा0/01.08.16

4. इसमें आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बन्धित जिला के समाहर्ता होंगे तथा राशि की निकासी सम्बन्धित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

6. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 वि0(2), दिनांक-17.04.1998 के आलोक में की जायेगी।

कृ०पृ०उ०

7. उक्त स्वीकृत राशि के व्यय के क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-8025 दिनांक-21.05.2013, 2401, दिनांक-18.07.2007 एवं 1718, दिनांक-06.05.2010 में निहित प्रावधानों के अतिरिक्त समय-समय पर इस संबंध में वित्त विभाग, बिहार/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आदेशों/निर्देशों का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. स्वीकृत राशि से संविदा के आधार पर नियोजित अभिनों के पारिश्रमिक का ही भुगतान किया जायेगा। इस राशि के व्यय के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय विवरणी निश्चित रूप से अगले माह की 7वीं तारीख तक विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

9. राशि का विचलन किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा।

~~XXXXXXXXXX~~

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(विवेक कुमार सिंह),

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :-

(4)/रा0, पटना-15, दिनांक-

ई-मेल/
फैक्स

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/ समाहर्ता पश्चिम चम्पारण/विभागीय प्रशाखा-5 (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

~~XXXXXXXXXX~~

ह0/-

(विवेक कुमार सिंह),

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :-

~~213~~ 214

(4)/रा0, पटना-15, दिनांक-21/3/13

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विभागीय वेब-साईट प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

~~XXXXXXXXXX~~

(विवेक कुमार सिंह),

प्रधान सचिव।

२५